


५०



1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल जिला ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक

/ 2015 रिवीजन

तिग - १०९९ - I - १५

महेश कुमार पुत्र श्री आत्माराम आयु 50वर्ष,

व्यवसाय कृषि, निवासी कटरा मोहल्ला

ईसागढ जिला अशोकनगर म.प्र.

....आवेदक

बनाम

1. मुन्नीबाई पत्नी घनश्याम पुत्री लक्ष्मीनारायण निवासी पुरानी कोतवाली के पास, अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र.
2. श्यामसुन्दर पुत्र कैलाशनारायण निवारी बोहरे कालोनी अशोकनगर म.प्र.
3. रमेश पुत्र आत्माराम, निवासी विदिशा रोड अशोकनगर म.प्र.
4. सुशीलबाई पत्नी सत्यनारायण पुत्री लक्ष्मीनारायण निवासी ईसागढ जिला अशोकनगर म.प्र.

..... अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 (1) मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 17.12.2015 न्यायालय तहसीलदार परगना ईसागढ जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 9/ अ-27/ 2011-12 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध।

श्रीमानजी,

का आवेदन निम्नान्तगार है :—

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक- निग/ 4099-एक/15

जिला-अशोकनगर

महेश कुमार विरुद्ध मुन्नीबाई आदि

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

रथान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/5/19	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक एस0के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार परगना ईसागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 9/अ-27/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 17/12/2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोक नगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10/7/19 को कलेक्टर जिला अशोक नगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	
	 	(आर0के0 जैन) सदस्य 15/5/19